न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू

पीठासीन अधिकारी का नाम – गोपाल परिहार आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या – 05/2025 जी.सी.एम.एस नम्बर 2025/14

अन्तर्गत धारा – खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक – 26.11.2025

सरकार जरिये अवधेश गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ।

प्रार्थी – आवेदक

बनाम

दीपक कुमार योगी पुत्र श्री रामगोपाल योगी (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्स दीपक फूड एण्ड पनीर सर्विस,
शिवाजी नगर, पावर हाउस के पास,
जयपुर रोड – दूदू जयपुर 303008,
निवासी– शिवाजी नगर दूदू, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण – अभियुक्त

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।)/51 एफएसएसए 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।)/51 एफएसएसएक्ट 2006 एवं नियम 2011 सरकार जरिये अवधेश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा पेश किया गया। जिसका सार निम्नानुसार है: –

1. यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.05.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के कार्य सम्पादन कर रहा है। मुझे राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक प.5(01)चि. स्वा./ग्रुप–3/2023 दिनांक 13.03.2024, दिनांक 30.06.2024 एवं दिनांक 27.09.2024 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया है।
2. यह है कि श्री नरेन्द्र सिंह राठौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पदस्थापन उनके मूल पद पर हो जाने के कारण श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने आदेश कमांक एफएसएसए/2025/730 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह राठौर के एफएसएसएक्ट 2006 के बकाया प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए जिनकी प्रति संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

3. यह कि नरेन्द्र सिंह राठौर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.05.2024 को सायंकाल 11.30 ए.एम. पर मैसर्स दीपक फूड एण्ड पनीर सर्विस, दूदू जिला जयपुर पर पहुँचा। वहां पर दीपक कुमार योगी पुत्र रामगोपाल योगी उपस्थित थे। मैंने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर दीपक कुमार योगी ने स्वयं को अपनी फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दीपक कुमार योगी से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय पंजीयन पत्र, स्वयं के आधार कार्ड एवं की छायाप्रति प्रस्तुत की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह कि नरेन्द्र सिंह राठौर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स दीपक फुड एण्ड पनीर सर्विस, दूदू, जिला जयपुर पर विक्रेता की दूकान का निरीक्षण करने पर डीप फ्रीज में रखी ट्रे में लगभग 20 किलोग्राम पनीर आम जनता के उपयोग/विक्रय के लिए रखा हुआ पाया गया, जिसमें गुणवत्ता की कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना

5. जांच हेतु 01 किलोग्राम पनीर विक्रेता एवं मालिक दीपक कुमार योगी पुत्र रामगोपालन योगी से खरीदकर उसकी कीमत 300/– रूपये नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री प्रेमराज कुमावत एवं श्री ओमप्रकाश भॉवरिया के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। रसीद आवेदन के साथ संलग्न है।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर दीपक कुमार योगी पुत्र रामगोपाल योगी ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक दीपक कुमार योगी को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह कि नरेन्द्र सिंह राठौर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 किलोग्राम पनीर को एकरूप कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की चौडे मुंह की बोतल दिखाकर उक्त खरीदशुदा 01 किलोग्राम पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर कर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फॉर्मलिन की 20–20 बूंदे डालकर बोतलों को एयरटाइट बंद किया गया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाए, और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN – 3973 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. AN – 3973 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

पर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

8. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फॉर्म नं. छः की सात प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फॉर्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फॉर्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की।

9. यह कि नरेन्द्र सिंह राठौर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/649 दिनांक 21.06.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/2129/एक्ट/2024/2270 दिनांक 13.06.2024 के अनुसार विक्रेता एवं मालिक द्वारा वास्ते नमूना जॉच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया। जॉच रिपोर्ट संलग्न है।

10. यह कि श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/730 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा आवेदक अवधेश गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जयपुर द्वितीय को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.05.2025 को प्रस्तुत की गयी पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/955 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

11. यह है कि उक्त केस में अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सब–स्टेण्डर्ड पनीर का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत हे।

12. उक्त आशय का परिवाद प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया व साक्ष्य सबूत/जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शेख अनवर ने यू.टी. दी। वकालतनामा/जवाब हेतु 7 बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी वकालतनामा व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी का जवाब बंद किया गया व: अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर उपलब्ध खाद्य सामग्री में गुणवत्ता की कमी के अंदेशें से की गई कार्यवाही नियम एवं प्रकियानुसार की गई है तथा अप्रार्थी द्वारा विक्रय के उद्देश्य से रखे खाद्य पदार्थ पनीर नमूने में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी दीपक कुमार योगी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स दीपक फूड एण्ड पनीर सर्विस से वक्त निरीक्षण जब्त किया गया पनीर नमूना जॉच में सब स्टेण्डर्ड पाये जाने से अप्रार्थी द्वारा पनीर खाद्य पदार्थ का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत निर्धारित जुर्माना प्रावधान के तहत अप्रार्थी पर 15,000/रू. अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी शास्ति राशि जरिये चालान जमा करा कर चालान की एक प्रति निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय दिनांक 26.11.2025 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू